उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-04/2020/आडिट-1-92 /दस-2020-320(4)/2018
लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों को अग्रिम आदेशों तक उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में उल्लिखित पद का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1	श्री निर्मल नरेन्द्र धुन्नीलाल, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी।	सहकारी दुग्ध संघ, चित्रकूट	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, चित्रकूट।
2	श्री अनिल कुमार मणि त्रिपाठी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी।	सहकारी चीनी मिल, नानपारा, बहराइच	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बहराइच।

2- जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में पद में निहित समस्त कर्तव्यों/दायित्वों का प्रभार सम्मिलित होगा तथा उपरोक्त अधिकारियों को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

समीर
विशेष सचिव।

संख्या-04/2020/आडिट-1-92 (1)/दस-2020-320(4)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4- सम्बन्धित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0।
5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रवीन्द्र नाथ सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।